COURSE :- BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (BLIS)

PAPER :- 4TH (Library Cataloguing: Theory)

TOPIC :- Canons of Cataloguing

(प्रसूचीकरण के उपसूत्र)

उद्देश्य :- इस पाठ में प्रसूचीकरण के उपसूत्र को समझाया गया है ।

PREPARED BY :- DINESH SINGH, CHIEF COORDINATOR, LIBRARY SCIENCE, NOU

प्रसूचीकरण के उपसूत्र (Canons of Cataloguing)

वास्तव में प्रसूचीकरण के उपसूत्र वे मौलिक नियम हैं जो प्रसूची संहिता के निर्माण तथा नियमों को सिद्धान्तबद्ध करके मौलिक आधार के रूप में अनुसरण किये जाते हैं तथा प्रसूचीकारों को उस अवस्था में मार्गदर्शन तथा नियमों की व्याख्या करने में सहायता करते हैं। ये उपसूत्र निम्न हैं –

1. निर्धायता का उपसूत्र (Canon of Ascertainability) — यह उपसूत्र यह निर्धारण करता है कि किसी ग्रन्थ के मुखपृष्ठ तथा इसके अतिरिक्त पृष्ठों में उपलब्ध विवरण के अनुसार ही किसी संलेख के प्रत्येक अनुच्छेद के वरण को निर्धारित करना चाहिए। किसी ऐसी सूचना को कभी सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिसका सुगमतापूर्वक निर्धारण न किया जा सके। इससे किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं होगा।

2. प्रबलता का उपसूत्र (Canon of Prepotence) — डा॰ रंगनाथन् ने इस उपसूत्र द्वारा यह कहने का प्रयास किया है कि संलेखों में संलेख के स्थान के निर्णय की प्रबलता को अग्र अनुच्छेद पर केन्द्रित होना चाहिए। इस

सूत्र का पूरा प्रभाव अनुवर्ग प्रसुची में मुख्य संलेख में होता है जो क्रामक संख्या को अग्र अनुच्छेद में प्रविष्ट करके बनाई जाती है।

3. व्यष्टिकरण उपसूत्र (Canon of Individualization) — यह सूत्र यह निर्देश देता है कि किसी सत्ता का नाम चाहे वह व्यक्ति हो, भौगोलिक सत्ता हो, कोई समष्टि निकाय हो, कोई ग्रन्थमाला हो, कोई प्रलेख हो, कोई विषय हो अथवा कोई भाषा हो जिसे संलेख के शीर्षक हेतु उपयोग किया जाता है उसमें समुचित तथा पर्याप्त मात्रा में व्यष्टिकृत तत्वों का उपयोग करके ऐसा बना देना चाहिए कि वह मात्र एक ही सत्ता का निर्देश करे।

4. खोज-शीर्षक उपसूत्र (Canon of Sought Heading) — यह सूत्र अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त है और यह प्रसूची के अन्तर्गत संलेख के स्वरूप को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है। इस सूत्र के अनुसार किसी विशेष प्रकार के शीर्षक का संलेख इस प्रकार से निर्मित करना चाहिए जिसके द्वारा पाठकों तथा ग्रन्थालय कार्यकर्त्ताओं को उसे देखने या खोजने की अधिक से अधिक सम्भावना रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसूची के संलेखों का शीर्षक वही होना चाहिए जिससे किसी पुस्तक का विवरण जानने के लिए पाठक या कर्मचारी उसी शीर्षक मात्र से प्रसूची का प्रयोग करे।

5. प्रंसग उपसूत्र (Canon of Context) — प्रसूची संहिता अनेक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। एक ही विधि सर्वत्र एवम् सर्वकाल के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए परिवर्तन की क्षमता प्रसूची संहिता में सदैव होनी चाहिए अन्यथा यह उपादेय नही सिद्ध हो सकती और शीघ्र ही पुरानी पड़ जायेगी। अतः यह उपसूत्र यह निर्देश देता है कि प्रसूची संहिता में नियमों को सूत्रबद्ध करते समय पुस्तकों के प्रकाशन की प्रचलित विधि, पुस्तक से सम्बन्धित प्रसूचीकरण की विशेषताओं, ग्रन्थालय द्वारा की जाने वाली सेवा एवम् उद्देश्य की प्रकृति तथा प्रकाशित वांङ्मयसूचियों को दृष्टि में अवश्य रखना चाहिए अर्थात इन तत्वों के प्रसंग में नियमों को सिद्धान्तबद्ध करना चाहिए।

6. स्थायित्व उपसूत्र (Canon of Permanence) — इस उपसूत्र के अनुसार किसी भी संलेख के स्थायी तत्व में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति या समष्टि निकाय के नाम में परिवर्तन कर देने से किसी प्रकाशित ग्रन्थ के संलेख के शीर्षक में परिवर्तन करना निषेध है।

7. **प्रचलन उपसूत्र (Canon of Currency)** — यह उपसूत्र यह निर्देश देता है कि अनुवर्ग प्रसूची की वर्ग निर्देशि संलेखों तथा सर्वानुवर्णी प्रसूची के विषय संलेखों में प्रचलित पदों का ही उपयोग करना चाहिए। कभी-कभी एक विषय के दो या अनेक पद प्रचलित होते हैं और दोनों का प्रयोग होता रहता है। अत: ऐसी स्थिति में भ्रम उत्पन्न होता रहता है इसीलिए डा० रंगनाथन् ने विशिष्ट पद की अपेक्षा प्रचलित पद के प्रयोग को अत्यधिक उपयुक्त बताया है।

8. **सुसंगति उपसूत्र (Canon of Consistence)** — किसी भी प्रकार की असंगति होने से प्रसूची का आकार एवम् व्यवस्था दोनों ही नष्ट हो जाते हैं इसलिए यह उपसूत्र यह निर्देश देता है कि किसी भी प्रसूची संहिता में किसी ग्रन्थ के लिए जितनी भी अतिरिक्त संलेख बनाना सम्भव हो वे सभी उसके मुख्य संलेख से सुसंगति रखनी चाहिए तथा सलेखों के आवश्यक तत्वों जैसे -वरण (Choice), प्रस्तुतीकरण तथा शीर्षक एवम् अनुच्छेदों के लिखने की शैली में सुसंगति होनी चाहिए तथा उनमें साम्यता होनी चाहिए।

9. **पुनर्आह्वान मूल्य उपसूत्र (Canon of Recall Value)** — यह उपसूत्र यह निर्देश देता है कि व्यक्ति, संस्था, सम्मेलन अथवा किसी राजकीय विभाग अथवा संस्था के बहुशब्दीय नामों तथा बहुशब्दीय आख्या के प्रलेख के मुख्य संलेख के शीर्षक का संलेख शब्द अथवा शब्द समूह वह शब्द होना चाहिए जिसका सबसे अधिकतम पुनर्आह्वान् मूल्य हो।